

प्रो-फार्मा ४

(भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय ज्ञाप

आधिकारी, उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

1. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी बीरेन्द्र कुमार सिंह, पीठासीन को उच्च न्यायालय सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल०जे०यू० 20934 से बीस लाख प्रयोजन के व्यय वहन करने हेतु 20,00,000 रूपये (शब्दों में) बीस लाख का अंतिम निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(1)(A)(b) संपत्ति 17(1)(a) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

2. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी बीरेन्द्र कुमार सिंह के ~~छ-महीने के~~ वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के ~~अधे~~ तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 57200-1230- 58930-1380-6720-1540-70290 रु० है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी बीरेन्द्र कुमार सिंह ने दिनांक 18.03.2016 को अपनी सरकारी सेवा को ~~पूरे~~ बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिचार्षिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

4. दिनांक 10.12.2020 को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी बीरेन्द्र कुमार सिंह के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

(१) वर्ष <u>2019-20</u> की लेखा-पर्ची/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विवरणिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि	रु० <u>37,61,249/-</u>
(२) माह <u>मार्च, 20</u> से माह <u>अप्रैल, 20</u> तक प्रतिमाह की दर से अभिदान	रु० <u>1,80,000/-</u>
(३) माह <u>.....</u> से माह <u>.....</u> तक प्रतिमाह रु०	<u>1</u>
की दर से अग्रिम की वसूली रु०	<u>1</u>
(४) मद (१), (२) तथा (३) का योग	रु० <u>39,41,249/-</u>
(५) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो	रु० <u>.....</u>
(६) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद	रु० <u>.....</u>

(४) में से मद (५) घटाइये
(क) वर्ष की लेखा-पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को पिछली बार आदेश संख्या दिनांक द्वारा रु० का कोट्र अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।
(ख) ज्ञात हुआ है कि श्री को (जैसा कि उन्होंने बताया) (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु० की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।